न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 02/2018

वादीगण :–

1. वीजाराम पुत्र लच्छाराम
2. स्व. दुर्गाराम पुत्र लच्छाराम के कायम मुकाम

2/1 मोरोदेवी बेवा स्व. दुर्गाराम
2/2 निम्बाराम पुत्र दुर्गाराम
2/3 बबरीदेवी पुत्री दुर्गाराम पत्नी लाबूराम जाति रबारी निवासी हाल कांखी
2/4 कवलीदेवी पुत्री दुर्गाराम निवासी हाल गुडानाल
2/5 साकुदेवी पुत्री दुर्गाराम पत्नी कुईयाराम जाति रबारी निवासी कांखी
2/6 पिंका पुत्री दुर्गाराम पत्नी मांगाराम जाति रबारी निवासी हाल पादरू
2/7 संगीता पुत्री दुर्गाराम पत्नी डूंगाराम जाति रबारी निवासी हाल कांखी

3 स्व.देवाराम पुत्र लच्छाराम के कायम मुकाम

3/1 मूलाराम पुत्र देवाराम
3/2 पारसराम पुत्र देवाराम
3/3 भेराराम पुत्र देवाराम
3/4 मोडाराम पुत्र देवाराम
3/5 शंकर पुत्र देवाराम

सभी जातिगण रबारी निवासीगण ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. स्व. दौलाराम पुत्र कुम्भाराम के कायम मुकाम

1/1 मानाराम पुत्र दौलाराम
1/2 वीरमाराम पुत्र दौलाराम

2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

दावा बाबत अधिकारो की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

1. श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादीगण अनुपस्थित

:: निर्णयः:

दिनांकः– 29.06.2022

वादीगण द्वारा यह वाद अधिकारो की घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया वाद के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है की वादीगण की पैतृक कृषि भूमि सरहद मौजा ताण्डाबेरा पटवार मण्डल धारण तहसील सिवाना में खेत खसरा संख्या 550 रकबा 22.12 बीघा अर्थात 03.6583 हैक्टयर किस्म धोरा व खेत खसरा संख्या 715 रकबा 13.18 बीघा अर्थात 02. 2501 हैक्टयर किस्म धोरा कुल खसरा 2 कुल रकबा 36.10 बीघा अर्थात 05. 9084 हैक्टयर की कृषि भूमि आई हुई है जो नई खतौनी संख्या 74 में दर्ज है उपरोक्त खसराजात की भूमि मे से दौलाराम,जोगाराम ,पदमाराम ने अपना हक हिस्सा की कृषि भूमि संवत् 2029 मगर बदी एकम को वादीगण के पूर्वज लच्छाराम को बेचान कर जिसकी रकम भरपाई की रसीद तीनो धणियों दौलाराम,जोगाराम ,पदमाराम व कुम्भा ने अपने निशान अगुष्ठ कर लच्छाराम के हक में लिख दी थी तब से वादग्रस्त भूमि से दौलाराम ,जोगाराम व पदमाराम वादग्रस्त भूमि से बेदखल होकर उक्त कृषि भूमि का कब्जा लच्छाराम को सुपुर्द कर दिया गया था लगभग 45 वर्षो से अधिक समय से वादग्रस्त भूमि पर

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

लच्छाराम व उसके वारिसान का ही कब्जा काश्त आज दिन तक निर्विध्न रूप से प्रतिवादीगण को ध्यान में होते हुये अधिकार स्वरूप कब्जा काश्त है लच्छाराम व उसके वारिसान के कब्जे काश्त में कभी भी दौलराम,जोगाराम,पदमाराम ने उज्र एतराज नहीं किया लच्छाराम के देहान्त के बाद उनके वारिसान वादीगण के नाम खातेदारी उनके हिस्से की दर्ज हुई । प्रतिवादीगण दौलाराम, जोगाराम,पदमाराम के द्वारा उनके हक हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण के दादा पिता वगैरह के नाम संवत् 2029 में प्रतिफल राशि लेकर लच्छाराम के पक्ष मे बेचान कर दी थी तथा कब्जा भी लच्छाराम ने प्राप्त कर लिया थाा लेकिन संयुक्त परिवार होने व आपसी प्रेमभाव होने की वजह से बेचान की गई उनके हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचाननामा पंजीबद्व नहीं करवाया गया। लेकिन समय अन्तराल के बाद स्व. दौलाराम,स्व.जोगाराम व स्व. पदमाराम के देहान्त के बाद उनके वारिसान के नाम फौतगी नामान्तकरण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया । तब वादीगण ने प्रतिवादीगण को उनके पूर्वजो द्वारा बेचान का हवाला देकर कहा गया कि आप के पूर्वजो द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का उनके हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि वादीगण के पूर्वज लच्छाराम को बेचान लगभग 45 साल पूर्व कर दिया गया था इसलिए दौलाराम ,जोगाराम व पदमाराम के हक हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचाननामा तहसील कार्यालय सिवाना में चलकर हम वादीगण के नाम प्रतिवादीगण के पूर्वजो के लिखित के आधार पर दस्तोवज पंजीबद्व करवाकर आपके हक हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण के नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम करवाया जावे। लेकिन प्रतिवादीगण ने हम वादीगण का नाम उनका हक हिस्सा पंजीबद्व करवाने में आनाकानी करने लगे तथा बेचान करने की ऐलानिया धमकी देने लगे । वादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि वादीगण के हक अधिकार की है वादीगण के पूर्वज लच्छाराम के खरीद के समय से आज दिन तक कब्जा काश्त वादीगण है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण द्वारा सिचांई हेतु टयूबवेल खुदवाया गया है तथा विद्युत कनेक्शन भी वादीगण के नाम लिया हुआ है जिससे सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि वादीगण ही काश्त व सिंचित करते है वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से उनके पूर्वजो द्वारा बेचान किये गये लिखित की पालना करवाने हेतु उक्त वाद न्यायालय श्री में पेश किया गया। वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणा को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र सिंह सोढा उपस्थित होकर प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण का वाद का खण्डन किया गया कि प्रतिवादीगण की तरफ से किसी प्रकार का कोई लिखित वादीगण के पक्ष में नहीं किया गया है न ही प्रतिवादीगण द्वारा उनका कोई हक हिस्सा वादीगण या वादीगण के पूर्वजो के पक्ष में बेचान किया गया है ।

दौराने वाद विचारण प्रतिवादी संख्या 2/1 चुन्नी देवी व 3/1 मोडाराम के द्वारा अपने पूर्वजो के बेचान लिखित को सही मानते हुये अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष मे जरिये विक्रेय विलेख के बेचान कर दिया तब वादीगण के नाम उनके स्थान पर खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई तथा इस बाबत इनके द्वारा न्यायालय श्री में स्वंय उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया कि हमारे द्वारा हमारा हक हिस्सा वादीगण का हस्तान्तरण कर दिया गया जाने से प्रतिवादी संख्या 2/1 व 3/1 द्वारा वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 2/1 व 3/1 हिस्से तक स्वीकार कर वादीगण के पक्ष में डिक्री किये जाने की सहमति जाहिर की गई।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

दिनांक 14.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 1/1 मानाराम व 1/2 वीरमाराम व उनके अधिवक्ता के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी गवाह पी डब्लयू 1 मोडाराम व पी डब्लयू 2 बींजाराम के बयान कलमबद्व करवाया जाकर जमाबंदी की नकल संवत् 2070–2073 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 1 तथा वर्तमान जमाबंदी की नकल संवत् 2070–2073 की डिजीटल प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 2,नक्शा किश्तावार की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 3, प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा वादीगण के पर्वूज के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का किये गया बेचान लिखित 2029 मगरबद्व एकम का प्रदर्श 4 व उसकी छायाप्रति प्रदर्श 4 ए,प्रतिवादी संख्या 2/1 चुन्नीदेवी व 3/1 मोडाराम द्वारा वादीगण के पक्ष मे किया गया विक्रेय विलेख बेचान खेत का हिस्सा प्रदर्श 5 व उसकी छायाप्रति 5ए, वादी संख्या 2 के कायम मुकाम 2/1 व 2/3 से 2/7 के द्वारा उनका हक हिस्सा वादी संख्या 2/2 निम्बाराम के पक्ष में किया गया हकतर्क नामा प्रदर्श 6 व उसकी छायाप्रति 6 ए तथा वादीगण के नाम कृषि विद्युत कनेक्शन की बिल प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाया गया ।

वादीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वादीगण वकील द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि सरहद मौजा ताण्डाबेरा पटवार मण्डल धारण तहसील सिवाना में खेत खसरा संख्या 550 रकबा 22.12 बीघा अर्थात 03.6583 हैक्टयर किस्म धोरा व खेत खसरा संख्या 715 रकबा 13.18 बीघा अर्थात 02.2501 हैक्टयर किस्म धोरा कुल खसरा 2 कुल रकबा 36.10 बीघा अर्थात 05.9084 हैक्टयर की कृषि भूमि आई हुई है जो नई खतौनी संख्या 74 में दर्ज है उपरोक्त खसराजात की भूमि मे से प्रतिवादीगण के पूर्वज कुम्भा, दौला उर्फ दौलाराम,जोगा उर्फ जोगाराम ,पदमा उर्फ पदमाराम बेटा पोतरा प्रागाराम ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा की वादग्रस्त कृषि भूमि संवत् 2029 मगर बदी एकम को वादीगण के पूर्वज लसा उर्फ लच्छाराम,देवा उर्फ देवाराम, वीजा उर्फ वीजाराम ,दरगा उर्फ दरगाराम बेटा पोतरा कुम्भारा साकिन धारणा को बेचान कर जिसकी बेचान प्रतिफल रकम भरपाई की रसीद सभी धणियों दौलाराम,जोगाराम ,पदमाराम व कुम्भा ने अपने निशान अगुष्ठ कर लच्छा,देवा,वीजा,दरगा बेटा पोतरा कुम्भा के हक में लिख दी थी तब से वादग्रस्त भूमि से कुम्भा,दौलाराम ,जोगाराम व पदमाराम वादग्रस्त भूमि से बेदखल होकर वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा लच्छा,देवा,वीजा,दरगा बेटा पोतरा कुम्भा को सुपुर्द कर दिया गया था लगभग 45 वर्षो से अधिक समय से वादग्रस्त भूमि पर लच्छाराम व उसके वारिसान का ही कब्जा काश्त आज दिन तक निर्विध्न रूप से प्रतिवादीगण को ध्यान में होते हुये अधिकार स्वरूप कब्जा काश्त है लच्छा,देवा,वीजा,दरगा बेटा पोतरा कुम्भा व उसके वारिसान के कब्जे काश्त में कभी भी कुम्भा,दौलराम,जोगाराम,पदमाराम ने उज्र एतराज नहीं किया लच्छाराम के देहान्त के बाद उनके वारिसान वादीगण के नाम खातेदारी उनके हिस्से की दर्ज हुई। प्रतिवादीगण संख्या 2/1 चुन्नीदेवी व 3/1 मोडाराम के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अपने पूर्वजो के द्वारा किये गये उनके हक हिस्से के बेचान का स्वीकार किया गया है तथा प्रार्थना पत्र भी इस बाबत न्यायालय श्री में पेश किया है तथा उन्होने स्वीकार किया है कि जो भूमि हमारे नाम दर्ज है जो हमारे पूर्वज कुम्भा, दौला पदमा व जोगाराम द्वारा वादीगण के पूर्वज लच्छा,देवा,वीजा,दरगा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

बेटा पोतरा कुम्भा के पक्ष में बेचान कर दी थी इसलिए वादीगण के वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में उनके हक हिस्से तक डिक्री जारी करने की सहमति भी दी गई। इससे स्पष्ट होता है कि वादीगण कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 दौलाराम के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 1/1 मानाराम व 1/2 वीरमाराम के द्वारा भी वादीगण के पूर्वजों के उनके हक हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया गया था लेकिन समय का अन्तराल आनो से व भूमि की कीमते बढने से अपने पूर्वजे के बेचान लिखित को नजरअंदाज कर वादीगण के हक हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि को हडपना चाहते है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 की हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि हम वादीगण के नाम खातेदार घोषित किया जावे।

यहां न्यायालय को यह तय करने है कि क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 के हिस्से की भूमि में खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है ?

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श जमाबंदी की नकल संवत् 2070–2073 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 1 तथा वर्तमान जमाबंदी की नकल संवत् 2070–2073 की डिजीटल प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 2,नक्शा किश्तावार की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 3, प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा वादीगण के पर्वूज के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का किये गया बेचान लिखित 2029 मगरबद्व एकम का प्रदर्श 4 व उसकी छायाप्रति प्रदर्श 4 ए,प्रतिवादी संख्या 2/1 चुन्नीदेवी व 3/1 मोडाराम द्वारा वादीगण के पक्ष मे किया गया विक्रेय विलेख बेचान खेत का हिस्सा प्रदर्श 5 व उसकी छायाप्रति 5ए, वादी संख्या 2 के कायम मुकाम 2/1 व 2/3 से 2/7 के द्वारा उनका हक हिस्सा वादी संख्या 2/2 निम्बाराम के पक्ष में किया गया हकतर्क नामा प्रदर्श 6 व उसकी छायाप्रति 6 ए तथा वादीगण के नाम कृषि विद्युत कनेक्शन की बिल प्रदर्श 7 का गहराई से अवलोकन व मनन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 4 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के पूर्वज कुम्भा,दौला,पदमा व जोगा बेटा पोता प्रागाजी जाति रबारी निवासी धारणा द्वारा संवत् 2029 में वादग्रस्त कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण के पूर्वज लसा,देवा,वीजा,दरगा बेटा पोतरा कुम्भा के पक्ष में सप्रतिफल बेचान कर कब्जा वादीगण के पूर्वज को सुपुर्द कर दिया गया था जिस पर साक्ष्य अंगुष्ठ व हस्ताक्षर पर भी है,पदमा व जोगा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2/1 चुन्नीदेव व प्रतिवादी संख्या 3/1 मोडाराम द्वारा न्यायालय श्री में उपस्थित होकर अपने पूर्वजों के बेचान को सही माना है तथा वादीगण के वाद को अपने हक हिस्से तक वादीगण के पक्ष में डिक्री किये जाने की सहमति दी है तथा उनके द्वारा वादीगण के पक्ष में उनके पूर्वज के लिखित बेचान को स्वीकार कर वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचाननामा वादीगण के पक्ष में करवाया गया तथा वादीगण के नाम खातेदारी भी उनके स्थान पर दर्ज हो चुकी है इससे साबित होता है कि प्रतिवादी गण संख्या 1 दौलाराम के कायम मुकाम 1/1 व 1/2 के पिता दौलाराम ने भी वादग्रस्त भूमि में दर्ज अपने हक हिस्से की भूमि वादीगण के दादा पिता लसा,देवा,वीजा,दरगा बेटा पोतरा कुम्भा के पक्ष कर दी थी। प्रदर्श 7 के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि एक मात्र कब्जा काश्त वादीगण का है क्योंकि उनके द्वारा ही वादग्रस्त कृषि भूमि पर काश्त की जाती है तथा उनके नाम का ही विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद सूचना न्यायालय श्री मे उक्त वाद में सुनवाई हेतु स्वंय या उसके

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

अधिवक्ता उपस्थित नहीं होना अपने आप में जाहिर करते है कि वादग्रस्त कृषि भूमि में उनका कोई हक हिस्सा नहीं बन रहा है ।

वादीगण के साक्ष्य व उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादीगण वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 के हिस्से की भूमि में खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा ताण्डाबेरा पटवार मण्डल धारण तहसील सिवाना में खेत खसरा संख्या 550 रकबा 22.12 बीघा अर्थात 03.6583 हैक्टयर किस्म धोरा व खेत खसरा संख्या 715 रकबा 13.18 बीघा अर्थात 02.2501 हैक्टयर किस्म धोरा कुल खसरा 2 कुल रकबा 36.10 बीघा अर्थात 05.9084 हैक्टयर की कृषि भूमि में राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1/1 मानाराम का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1/2 विरमाराम का 1/8 हिस्सा के स्थान पर वादग्रस्त भूमि में वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है राजस्व रेकर्ड में आदेशानुसार अमलदारामद किया जावे व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करे। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चो पक्षकारन अपना –अपना वहन करे।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

निर्णय दिनांक 29.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बाड़मेर)
व इजलास कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2018

वादीगण :–

1. वीजाराम पुत्र लच्छाराम
2. स्व. दुर्गाराम पुत्र लच्छाराम के कायम मुकाम

2/1 मोरोदेवी बेवा स्व. दुर्गाराम
2/2 निम्बाराम पुत्र दुर्गाराम
2/3 बबरीदेवी पुत्री दुर्गाराम पत्नी लाबूराम जाति रबारी निवासी हाल कांखी
2/4 कवलीदेवी पुत्री दुर्गाराम निवासी हाल गुडानाल
2/5 साकुदेवी पुत्री दुर्गाराम पत्नी कुईयाराम जाति रबारी निवासी कांखी
2/6 पिंका पुत्री दुर्गाराम पत्नी मांगाराम जाति रबारी निवासी हाल पादरू
2/7 संगीता पुत्री दुर्गाराम पत्नी डूंगाराम जाति रबारी निवासी हाल कांखी
3 स्व.देवाराम पुत्र लच्छाराम के कायम मुकाम
3/1 मूलाराम पुत्र देवाराम
3/2 पारसराम पुत्र देवाराम
3/3 भेराराम पुत्र देवाराम
3/4 मोडाराम पुत्र देवाराम
3/5 शंकर पुत्र देवाराम
सभी जातिगण रबारी निवासीगण ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. स्व. दौलाराम पुत्र कुम्भाराम के कायम मुकाम

1/1 मानाराम पुत्र दौलाराम
1/2 वीरमाराम पुत्र दौलाराम

2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

दावा बाबत अधिकारो की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : – 29.06.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण व हाजरी श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई प्रतिवादी अनुपस्थिति में पेश होकर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा ताण्डाबेरा पटवार मण्डल धारण तहसील सिवाना में खेत खसरा संख्या 550 रकबा 22.12 बीघा अर्थात 03.6583 हैक्टयर किस्म धोरा व खेत खसरा संख्या 715 रकबा 13.18 बीघा अर्थात 02.2501 हैक्टयर किस्म धोरा कुल खसरा 2 कुल रकबा 36.10 बीघा अर्थात 05.9084 हैक्टयर की कृषि भूमि में राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1/1 मानाराम का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1/2 विरमाराम का 1/8 हिस्सा के स्थान पर वादग्रस्त भूमि में वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है, राजस्व रेकर्ड में आदेशानुसार अमलदारामद किया जावे व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करे। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चो पक्षकारन अपना –अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.06.2022 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना
(S.D.O.) सिवाना

क्रमांकः वाचक/2022/1090 दिनांक : 29-06-2022

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

भूमिधारक तहसीलदार, सिवाना

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना